न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 13/2025

राजस्थान सरकार जरिये अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक, सावर जिला अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री शिवशंकर खारोल पुत्र श्री बद्री खारोल

फर्म मालिक सावरिया मिष्ठान भण्डार देवली चौराहा सावर, केकडी

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.07.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 2011.2024 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते सावरिया मिष्ठान भण्डार देवली चौराहा सावर केकडी पर पहुँचे मौके पर वक्त जांच फर्म मालिक श्री शिवशंकर खारोल पुत्र श्री बद्री खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर उपस्थित मिले मौके पर उक्त दुकान की जांच करने पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से एक घरेलु गैस सिलेण्डर कार्यरत होना पाया गया है। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। मौके पर श्री शिवशंकर खारोल ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न हीं किया है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर (बीपीसीएल) मार्का के पाये गये, मौके पर श्री राधेकृष्णा भारत गैस एजेन्सी सावर के कार्यकर्ता श्री बनवारी लाल बैंरवा पुत्र श्री रघुनाथ बैरवा को बुलवाकर वजन तौल की कार्यवाही करवायी गयी जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	812793	BPCL	29.0	15.8	13.2
2	99432 बी	BPCL	26.5	15.7	10.8
3	113040 टी	BPCL	22.0	15.5	6.5

इस प्रकार श्री शिवशंकर खारोल द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन किये जाने के कारण उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 30.5 किलोग्राम एलपीजी को जब्त सरकार कर मैसर्स श्री राधेकृष्णा भारत गैस एजेन्सी

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

सावर के मैनेजर श्री मुकेश कुमार मून्दडा पुत्र श्री भगवानदास मून्दडा को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है । श्री शिवशंकर खारोल पुत्र श्री बद्री खारोल फर्म मालिक सावरिया मिष्ठान भण्डार देवली चौराहा सावर द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (सी) एवं 7(1) सी का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा गेस सिलेण्डर मय 30.5 किग्रा एलपीजी को राजसात करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस पर पुलिस रिपोर्ट है कि उक्त दुकान बन्द कर दी है और नोटिस चस्पा किया गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 20.11.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 30.5 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 20.11.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 30.5 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर